

राजस्थान सरकार  
जन अभियोग निराकरण विभाग

क्रमांक प.28(20)प्र.सु/सम/अनु-1/2012 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 14/2/2021

आदेश

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय (अनुभाग-1) विभाग की समसंख्याक आज्ञा दिनांक 14.02.2020 द्वारा निदेशक लोक सेवाएँ, जयपुर के अधीन स्थिति कार्यालय हेतु एवं जिला स्तर पर (जिला कार्यालयों हेतु) वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु निम्नलिखित पदों की अवधि दिनांक 28.02.2021 तक बढ़ाई गई थी, उक्त अवधि वित्तीय वर्ष 2021-22 में दिनांक 01.03.2021 से 28.02.2022 तक एतद् द्वारा बढ़ाई जाती है :-

निदेशक, लोक सेवाएँ जयपुर कार्यालय हेतु :-

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या
1	संयुक्त निदेशक (सांख्यिकी)	1
2	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	2
3	अतिरिक्त निदेशक	1
4	सूचना सहायक	6
5	शीघ्र लिपिक	2
6	कनिष्ठ लिपिक	3
7	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3
	योग :-	18

जिला कार्यालयों हेतु :-

क्र.सं.	पदनाम	पदों की संख्या
1	सहायक निदेशक	33
2	सूचना सहायक	66
3	कनिष्ठ लिपिक	33
4	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	66
	योग :-	198

यह आज्ञा संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी सं० 102100786 दिनांक 16.02.2021 से प्राप्त सहमति के अनुशरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(विजय वरन्दानी)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, जन अभियोग निराकरण विभाग, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।

504



3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, जयपुर।
4. शासन सचिव एवं आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, लोक सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग को उनकी आई.डी. संख्या 102100786 दिनांक 16.02.2021 के क्रम में।
9. समस्त सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, राजस्थान मार्फत जिला कलक्टर।
10. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
11. ए.सी.पी. कम्प्यूटर सैल, कार्मिक विभाग, जयपुर।
12. रक्षित पत्रावली।

*how*  
उप शासन सचिव